

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संघिका संख्या-17/विविध 1-04/2026

पटना, दिनांक- / / 2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण (सत्र-2022-2025) छात्र/चिकित्सकों को कॉलम-06 में अंकित संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी /ट्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्डोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम एवं विषय	जन्म तिथि	पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण संस्थान का नाम	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
01	EISHITA GUPTA MS(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	08-11-1997	PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA	-----	AIIMS, Patna
02	VIVEK KUMAR MS(GENERAL SURGERY)	15-10-1996	JAWAHAR LAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, BHAGALPUR	-----	AIIMS, Patna
03	ADARSH MS(OTORHINOLARYN GOLOGY)	25-01-1998	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	-----	AIIMS, Patna ,oa IGIMS, Patna
04	PUJA SHUKLA MD(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	10-05-1996	DARBHANGA MEDICAL COLLEGE, DARBHANGA	-----	AIIMS, Doghar

2. उक्त चिकित्सक जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद हेतु काउंसिलिंग/साक्षात्कार में मान्य होगा।


उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

- ज्ञापांक :-17/विविध 1-04/2026- 103(17) पटना, दिनांक :-22/01/2026
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित छात्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
H